

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट/डी/01/चिकि.व्यय.प्रति./2019-20/179 प्रति,

भोपाल,दिनांक 8-8-2019

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,

शहपुरा(जबलपुर), गंगेव (रीवा), सांरंगपुर (राजगढ़), होशंगाबाद, सोहागपुर(होशंगाबाद), राजगढ़,सीहोर,डबरा, मुरार (ग्वालियर), परासिया(छिन्दवाड़ा), रसिंगढ,खिलचीपुर(राजगढ़), सागर, केसली, राहतगढ़(सागर), नसरूलागंज (सीहोर),उज्जैन, गैरतगंज (रायसेन),सीधी।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4396-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4396-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष / मांग संख्या	स. क.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
27 शिक्षा (प्रा. शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्रा. वि. 4396 सारकारी प्रा. विद्यालय 11 वेतन भत्ते 8888 V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1	श्री बिष्णु प्रसाद दिघर्रा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, झालोन, जबलपुर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहपुरा। 1802003002	RS.13689=00
	2	श्री मुन्नालाल झारिया, सहायक शिक्षक, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, बेलखेडा, जबलपुर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहपुरा। 1802003002	RS.196441=00
	3	श्री रेवती रमण मिश्र, सहायक शिक्षक, शासकीय उमावि, जोडोरी, रीवा।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गंगेव। 3202003038	RS.126179=00
	4	श्री रामप्रसाद मालवीय, प्रधानाध्यापक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, तलेनी, राजगढ़।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सांरंगपुर। 3002003012	RS.115938=00
	5	श्री महेश कुमार साहू, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, बालागंज, होशंगाबाद।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, होशंगाबाद। 1602003003	RS.87855=00
	6	श्री राजेन्द्र कुमार चौरसिया, सहायक शिक्षक, शास. कन्या उमावि सोहागपुर, होशंगाबाद।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सोहागपुर। 1662003010	RS.153024=00
	7	श्री नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा सहा. शि. प्रा. वि. उंचाखेडा, राजगढ़	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजगढ़ 3002003011	RS.102107=00
	8	श्री जीवन सिंह ठाकुर, सहायक शिक्षक, शासकीय कन्या माध्यमिक शाला, जाबर, सीहोर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीहोर। 3512003014	RS.124050=00
	9	श्री राधेश्याम वामनिया, सहायक शिक्षक।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सीहोर। 3512003014	RS.33768=00
	10	श्री श्रीकांत शर्मा, सहायक शिक्षक, शासकीय बालक माध्यमिक शाला, लालगांव, जिला रीवा।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गंगेव। 3202003038	RS.82784=00

11211

11	श्री विश्वेश्वर दयाल, सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, डबरा, ग्वालियर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डबरा। 1422003029	RS.77944=00
12	स्व.श्री रवीन्द्र कुमार गोस्वामी, सहायक शिक्षक, शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, ग्वालियर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुरार। 1402003026	RS.45000=00
13	श्री पवन कुमार सूर्यवंशी, सहायक शिक्षक, शास.प्राथमिक शाला, बीजागोरा, छिन्दवाड़ा।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, परासिया। 0702003003	RS.143750=00
14	श्री अशोक कुमार कुशवाहा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा, राजगढ़।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ़। 3002003013	RS.122191=00
15	श्री महेश कुमार तिवारी, से.नि. प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला न्यू शास्त्री नगर, सागर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सागर। 3302003004	RS.75443=00
16	श्री विनोद कुमार जैन, सहायक शिक्षक, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, टड़ा, सागर।	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कंसली। 3332003013	RS.50000=00
17	श्री शकिर खान, सहायक शिक्षक, शासकीय उगावि, जरूआखेडा, सागर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, राहतगढ़। 3302003006	RS.100000=00
18	श्री जी.एस. राजपूत, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, रूजनखेडी, जिला सीहोर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नसरुल्लागंज। 3552003032	RS.166507=00
19	श्रीमती अंजू मोदी, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, मेंढिया, उज्जैन।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उज्जैन। 4302003042	RS.80500=00
20	राम बाबू गुप्ता, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, संडावता, राजगढ़।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खिलचीपुर। 3002003012	RS.75339=00
21	श्री प्रताप सिंह ओड, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बावलिया, देहगाँव, रायसेन।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गैरतगंज। 2932003068	RS.30137=00
22	श्री देवेन्द्र प्रसाद पाठक, सहायक शिक्षक, शासकीय उमावि, पतुलखी, सीधी।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीधी। 4102003026	RS.250000=00

कुल राशि रु. बाईस लाख बावन हजार छः सौ बियालिस मात्र RS.22,52.646=00

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

//3//

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”



(संजय कुमार)


संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, म.प्र.।

पृ. क्रमांक/बजट/डी/01/चिकि.व्यय.प्रति./2019-20/180
प्रतिलिपि:-

शोपाल, दिनांक 8-8-20

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी - जबलपुर, रीवा, राजगढ़, होशंगाबाद, सीहोर, ग्वालियर, छिन्दवाड़ा, सागर, रायसेन, उज्जैन, सीधी म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी - जबलपुर, रीवा, राजगढ़, होशंगाबाद, सीहोर, ग्वालियर, छिन्दवाड़ा, सागर, रायसेन, उज्जैन, सीधी म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारीगण स.क्र.01 से 22 (म.प्र.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, म.प्र.।